निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फल्गुन 1942 (श0)
(सं0 पटना 155) पटना, सोमवार 8 मार्च 2021

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

5 मार्च 2021

जी0एस0आर0 03 दिनांक 8 मार्च 2021——भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 3776 (अ) दिनांक 23.10.2020 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टाँक सीमा और संचालन निर्बधन हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0–9 दिनांक 19.04.1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा–पत्र –एकीकरण) आदेश, 1984 में निम्न संशोधन करते है :–

1. बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा–पत्र एकीकरण) आदेश–1984 की अनुसूची–1 के भाग–ङ. (अन्य वस्तुओं) की सूची में ''प्याज'' शब्द अन्तःस्थापित किया जाता है।

2. बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा–पत्र एकीकरण) आदेश–1984 में क्रय, संचयन, विक्रय, प्रदाय, वितरण और भंडारण के संबंध में प्रयुक्त शब्द और पद ''प्याज'' के संबंध में भी इस अधिसूचना निर्गमन की तिथि से लागू होंगे।

3. राज्य में प्याज का कोई भी व्यापारी (खुदरा/थोक विक्रेता) प्याज का स्टाँक किसी भी समय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा अवधि एवं मात्रा से अधिक नहीं रखेगा।

4. इस आदेश की कोई बात राज्य से बाहर के स्थानों को प्याज के परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी, और नहीं प्याज के आयात पर लागू होगी।

परन्तु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेगी कि वे प्याज के स्टाँकों की प्राप्तियाँ और अपने द्वारा धारित स्टाँकों की घोषणा करें।

5. इस आदेश का कोई भी प्रावधान निम्नलिखित के द्वारा या उनके निमित्त प्याज के क्रय या विक्रय या विक्रय के लिए संचयन पर लागू नही होगा :–

(क) केन्द्र सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) राज्य सरकार के अधिकारी, विभाग, संस्थाएँ, या अन्य संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनित एजेन्सियाँ।

(घ) कोई केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सहकारी समिति एवं भेजफेड, नेफेड आदि

(ङ) उत्पादनकर्ता किसान।

6. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

(सं०प्र04–आ01–01/2014–1181)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार,
सरकार के सचिव।

The 5th March 2021

G.S.R 03 Dated 8th March 2021--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India published through S.O 3776(E) dated 23.10.2020 in context of the removal of Licensing requirements, Stock Limit and Movement Restrictions on specified foodstuffs (Second amendment) order, 2020 the Government of Bihar is pleased to make the amendments in the Bihar Trade Articles (License Unification) Order, 1984 Published through the Food and Consumer Protection Department, Bihar Notification No. GSR 09 dated 19.04.1984 as follows:-

1. The word “Onion” is inserted in the part E (Other commodities) of the Schedule-1 of the Bihar Trade Articles (License unification) order, 1984.
2. The word and expressions used in the Bihar Trade articles (License unification) Order, 1984 regarding purchase, collection, sale, delivery, distribution and storage shall apply in the case of Onion also from the date of the issuance of this notification.
3. No trader (Retail Trader / Wholesale Trader) of ‘Onion in the State shall hold the stock of Onion period beyond the limit and more than the stock limit as prescribed by the government.
4. Any provision of this order shall not affect transportation, distribution or disbursement of Onion at the places outside of the State, nor shall apply on import of Onion.

   But the Central Government or the State Government may order the importers of Onion that they declare the stocks of Onion received and held by them.
5. Any provision of this order shall not be applicable for purchase, sale or storage for sale of Onion for or by the following:-

   (a) Central Government.

   (b) State Government.

   (c) The officials, departments, institutions or organization of the State Government or agencies nominated by the State Government.

   (d) Any Centre or State level cooperative society, VEGFED, NAFED etc.

   (e) Producer farmer.

6. This notification shall come into force from the date of its issuance.

(No. Pra-04-aa-01/14-1181)
By order of the Governor of Bihar,
Vinay Kumar,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 155-571+200-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in